

# न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी: अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.  
मुकदमा नम्बर:-02/2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. बक्षु पिता प्रताप उर्फ परथु जाति जांगीड़ (सुथार), आयु वयस्क निवासी छापरी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

— प्राथी

बनाम

1. रतन पिता शंकर जाति जांगीड़ (सुथार) आयु वयस्क निवासी छापरी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. प्यारेलाल पिता शंकर जाति जांगीड़ (सुथार) आयु वयस्क निवासी छापरी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाड़ा (राज०)
4. नायब तहसीलदार एवं पदेन उप-पंजीयक, कारोई जिला भीलवाड़ा (राज०)

— विपक्षीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) व 188 रा०टि० एक्ट

बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट

उपस्थित—

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन उपस्थित
2. अप्रार्थी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण सोमानी उपस्थित

निर्णय दिनांक 6/6/2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन द्वारा दिनांक 23.01.2019 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 02/2019 पर दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

ग्राम छापरी प०ह० सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 63 की आराजी संख्या 183, 184, 185, 186, 231, 232, 233 कुल किता 07 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज है तथा खाता संख्या 36 की आराजी संख्या 187, 230 कुल किता 02 कुल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 183, 184, 185, 186, 231, 232, 233, 187, 230 के साबिक आराजी नम्बर 161 थे, साबिक आराजी नम्बर 161 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा भूमि में से प्रार्थी के पिता प्रताप उर्फ परथु पिता कालु जांगीड़ (सुथार) ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.02.68 को खातेदार से 10 बीघा भूमि क्रय की, जिसके पड़ोस निम्न है :-

पूर्व (उगाणो) :- अड़सीपुरा के जाटो को सेहरा का,

पश्चिम (आथुणो) :- छोगा नाथ को,

उत्तर (घराऊ) :- इसी पनटी की जमीन मेरे भाई बरदू को बेची जिसका

दक्षिण (लंकाऊ) :- ठाकरा गुलाबसिंह जी, शंकर, रामा की जमीन को।

इसी प्रकार साबिक आराजी नम्बर 161 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा भूमि में से बरदू उर्फ बरदीचन्द पिता कालु जांगीड़ (सुथार) ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.02.68 को खातेदार से 10 बीघा भूमि क्रय की, जिसके पड़ोस निम्न है:-

6/6/2025

सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

पूर्व (उगाणो) :- किराना जी जाट अड़सीपुरा वाला का,  
पश्चिम (आथुणो) :- भाई भैरू सुथार का,  
उत्तर (धराऊ) :- हमारी बची हुई आराजी का  
दक्षिण (लंकारु) :- परथु की जमीन।

साबिक आराजी नम्बर 161 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा भूमि में से अलग-अलग विक्रय पत्र के जरिए 10 बीघा जमीन प्रार्थी के पिता प्रताप उर्फ परथु पिता कालु जांगीड़ (सुथार) ने एवं 10 बीघा जमीन बरदू उर्फ बरदीचन्द पिता कालु जांगीड़ (सुथार) ने क्रय की। साबिक रकबा 10 दस बीघा भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर सेटलमेंट के दौरान खसरा परिशोधन पत्र संख्या 17 से क्रेता बरदू उर्फ बरदीचन्द पिता कालु जांगीड़ (सुथार) के नाम पर नये आराजी नम्बर 183, 184, 185, 186, 231, 232, 233 कुल किता 07 सात कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी व प्रताप उर्फ परथु पिता कालु द्वारा खरीदा गया साबिक रकबा 10 दस बीघा भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर सेटलमेंट के दौरान खसरा परिशोधन पत्र संख्या 18 से क्रेता प्रताप उर्फ परथु पिता कालु जांगीड़ (सुथार) के नाम पर नये आराजी नम्बर 187, 230 कुल किता 02 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज की गई।

विक्रय पत्र दिनांक 28.02.68 के आधार पर सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट के कर्मचारियों द्वारा, विक्रय पत्र में अंकित पड़ौसो एवं मौके पर क्रेताओं के कब्जे की जाँच किये बिना ही, बिना किसी आधार के सेटलमेंट के कर्मचारियों द्वारा अपने मन मकसूद तरीके से नये आराजी नम्बर 183, 184, 185, 186, 231, 232, 233 कुल किता 07 सात कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि बरदू उर्फ बरदीचन्द पिता कालु जांगीड़ (सुथार) के नाम पर दर्ज कर दी जबकि बरदू उर्फ बरदीचन्द पिता कालु जांगीड़ (सुथार) के नाम पर साबिक रकबा 10 बीघा भूमि का कब्जा अनुसार एवं विक्रय पत्र में अंकित पड़ौसो अनुसार आराजी नम्बर 183 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 184 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 187 रकबा 06 बीघा में से उत्तर दिशा की तरफ रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल किता 03 तीन कुल कन्वर्टेड रकबा 08 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी दर्ज होनी चाहिए एवं प्रताप उर्फ परथु पिता कालु जांगीड़ (सुथार) के नाम पर साबिक रकबा 10 बीघा भूमि का कब्जा अनुसार एवं विक्रय पत्र में अंकित पड़ौसो अनुसार आराजी नम्बर 230 रकबा 00 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 231 रकबा 00 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 232 रकबा 00 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 233 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 185 रकबा 00 बीघा 18 बिस्वा, 186 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 187 रकबा 06 बीघा में से दक्षिण दिशा की तरफ 02 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल किता 07 सात कुल कन्वर्टेड रकबा 08 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी दर्ज होनी चाहिए।

नये आराजी नम्बर 183, 184, 185, 186, 231, 232, 233 कुल किता 07 सात कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि बरदू उर्फ बरदीचन्द पिता कालु जांगीड़ (सुथार) के नाम पर दर्ज थी, बरदू उर्फ बरदीचन्द पिता कालु जांगीड़ (सुथार) के कोई वारीस नहीं होने से, बरदू उर्फ बरदीचन्द पिता कालु जांगीड़ (सुथार) ने विपक्षी संख्या 01 व 02 को अपने जीवन काल में ही वसीयत कर दी गई। बरदू उर्फ बरदीचन्द पिता कालु जांगीड़ (सुथार) की मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 01 व 02 ने बरदू उर्फ बरदीचन्द पिता कालु के नाम पर दर्ज भूमि में अपने नाम पर दर्ज करवाई जिसमें सेटलमेंट विभाग की गलती से प्रार्थी के पिता की खरीदसुदा एवं कब्जे सुदा भूमि बरदू उर्फ बरदीचन्द पिता कालु के नाम पर दर्ज हुई, उसको भी अपने नाम पर दर्ज करवा ली व अब उसके आधार पर विपक्षी संख्या 01 एक व 02 दो द्वारा प्रार्थी की कब्जे सुदा भूमि से, प्रार्थी को बेदखल कर अन्य व्यक्तियों को अन्तर्ण करने की धमकी दी, तब प्रार्थी ने पुराना समस्त राजस्व रेकार्ड प्राप्त किया व प्रार्थी के पिता की खरीद सुदा एवं कब्जे वाली भूमि आराजी नम्बर 185 रकबा 00 बीघा 18 बिस्वा, 186 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, 231 रकबा 00 बीघा 08 बिस्वा, 232 रकबा 00 बीघा 09 बिस्वा, 233 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 05 पाँच कुल रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा को प्रार्थी के नाम पर दर्ज

सहस्रक सुभाषेटर  
भीलवाड़ा

करवाने एवं विपक्षी संख्या 01 एक व 02 दो की कब्जे सुदा भूमि जो कि प्रार्थी के नाम पर है वह आराजी नम्बर 187 रकबा 06 बीघा में से उतर दिशा की तरफ रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि विपक्षी संख्या 01 एक व 02 दो के नाम पर दर्ज करवाने हेतु प्रार्थी ने विपक्षीगण को निवेदन किया किन्तु विपक्षीगण उसके लिए तैयार नहीं हुए व हाल ही में दिनांक 15.11.2018 को प्रार्थी की कब्जे सुदा भूमि से बेदखल करने एवं अन्य व्यक्तियों को अन्तरण करने की धमकी दी, जिससे प्रार्थी को विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है, अतः प्रार्थी को विपक्षीगण के विरुद्ध घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

प्रार्थी विरुद्ध विपक्षीगण के विनाय वाद कारण दिनांक 15.11.2018 को विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की कब्जे सुदा भूमि के प्रार्थी को मौके से बेदखल करने एवं अन्य व्यक्तियों को अन्तरण करने की धमकी देने की दिनांक 15.11.2018 से उत्पन्न होकर जारी है।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है चूँकि विवादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 185 रकबा 00 बीघा 18 बिस्वा, 186 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, 231 रकबा 00 बीघा 08 बिस्वा, 232 रकबा 00 बीघा 09 बिस्वा, 233 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा कुल कित्ता 05 पाँच कुल रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थी के उपयोग-उपभोग की होकर कब्जे कास्त की है किन्तु उक्त भूमि विपक्षीगण के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठाने के आशय से विपक्षीगण उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने एवं अन्य व्यक्तियों को अन्तरण करने पर आमादा है, यदि विपक्षीगण द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर अन्य व्यक्तियों को अन्तरित कर दिया गया तो अधिकाधिक विवाद उत्पन्न होगा, जिसका मूल्यांकन आर्थिक रूप से किया जाना असम्भव है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी, अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से साबित है, सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी, अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट का स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि आराजी संख्या 183, 184, 185, 186, 231, 232, 233 कुल कित्ता 07 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा में से आराजी नम्बर 185 रकबा 00 बीघा 18 बिस्वा, 186 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, 231 रकबा 00 बीघा 08 बिस्वा, 232 रकबा 00 बीघा 09 बिस्वा, 233 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा कुल कित्ता 05 पाँच कुल रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा भूमि के उपयोग भूमि के उपयोग उपभोग व कास्त करने में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करें, न अन्य से करावें, मौके से बेदखल नहीं करें, प्रतिवादी संख्या 04 उक्त भूमि के अन्तरण बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करें, विपक्षी संख्या 03 राजस्व रेकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

विपक्षी संख्या 1 व 2 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 29.08.2019 को विपक्षी संख्या 1 व 2 का जवाब बंद किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.02.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी का पेश किया गया, जिसकी नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता की दिनांक 11.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी पर बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 200 रुपये की शास्ति पर स्वीकार की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 16.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। दिनांक 16.05.2025 को उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।

प्रकरण का गुणवतापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है:-

  
सहायक कमिश्नर  
भीलवाड़ा

1. प्रथम दृष्टया मामला - प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व खातेदार को भूप्रबन्ध बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान 10 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख भीलवाड़ा में 152.5 फीट की जरीब थी, जिसे परिवर्तित किया जाकर 165 फीट की जरीब के आधार पर नवीन राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शा तैयार किया गया। जरीब परिवर्तन के कारण प्रति बीघा 3 बिस्वा की दर से भूमि कम होकर प्रार्थी द्वारा कयशुदा भूमि भूप्रबन्ध बन्दोबस्त के उपरान्त 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज हुई थी, जिसके स्थान पर प्रार्थी के नाम 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज हुई है। इस प्रकार प्रार्थी के नाम 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख के मुकाबले कम दर्ज हुई है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखूबी प्रमाणित होता है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि जरिये विरासत प्राप्त हुई है। हमारे पूर्वज के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज हुई थी, जो यथावत हमारे नाम दर्ज हुई है। अतः प्रार्थी का कथन कि उसके नाम पंजीकृत विक्रय विलेख के मुकाबले भूमि कम दर्ज हुई है, साबित नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है और विपक्षी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार होने से खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने की सुस्थापित विधि होने से प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में बखूबी प्रमाणित होता है।

प्रकरण में चूंकि प्रार्थी के द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से 10 बीघा भूमि कय की गई थी और भूप्रबन्ध बन्दोबस्त के दौरान उसके नाम 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि ही दर्ज की गई। इस प्रकार जरीब परिवर्तन होने से कम होने योग्य भूमि 30 बिस्वा भूमि के अतिरिक्त प्रार्थी के नाम 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि कम दर्ज हुई है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखूबी प्रमाणित होता है।

2. सुविधा का संतुलन - प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का जिरा स्थान पर कब्जा है व भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम आंशिक रूप से दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा है। अतः मौके पर पंजीकृत विक्रय विलेख के विरुद्ध राजस्व रिकॉर्ड तैयार नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज भूमि का यदि किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण कर दिया जाता है तो मौके पर वाद विवाद बढ़ने की पूर्ण संभावना है और ऐसी स्थिति में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग-उपभोग में अनावश्यक वाद विवाद उत्पन्न होंगे, जिससे नवीन वादकारण उत्पन्न होकर नवीन राजस्व वाद दर्ज होंगे। साथ ही प्रार्थी के नाम भूप्रबन्ध बन्दोबस्त के दौरान कम दर्ज 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि जमाबन्दी तथा राजस्व आराजी नम्बर, भिन्न पर काश्त होने से का विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि का अन्तरण कर दिये जाने से भी वाद विवाद बढ़ने की पूर्ण संभावना है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.02.2019 को माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। वाद प्रस्तुतीकरण के उपरान्त से आज दिनांक तक न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा आदेश प्रसारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मौके पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। मौके पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होने से प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रमाणित नहीं होता है।

प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि एवं मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति भिन्न-भिन्न होने की स्थिति के संबंध में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध व्यक्त नहीं किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया यह उचित प्रतीत होता है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में भिन्नता की स्थिति है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है।


3. अपूरणीय क्षति - प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि भूप्रबन्ध बन्दोबस्त के दौरान प्रार्थी द्वारा कयशुदा भूमि के मुकाबले 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि कम दर्ज हुई एवं उक्त 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा भूमि को अन्तरित किये जाने की धमकी दी जा रही है। यदि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा भूमि का अन्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वर्ष 2019 को विचाराधीन वाद में मौके पर कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं होता है और विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा भूमि का किसी प्रकार से दीगर व्यक्ति को अन्तरित किये जाने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः अपूरणीय क्षति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

प्रकरण में प्रार्थी के नाम पंजीकृत दस्तावेज के मुकाबले 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि कम दर्ज होना प्रमाणित है और उक्त 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होने से किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना स्वभाविक है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को साबित करने में सफल रहा है। अतएव

—: आदेश :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि ग्राम छापरी पटवार हल्का सांगवा तहसील भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 183 लगायत 187, 230 लगायत 233 कुल किता 9 कुल रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाई रखे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो तथा नम्बर से कम हो।

  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक फौजदार  
भीलवाड़ा